

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/18/

तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

दिनांक:-25.10.2018

विषय:- विविध प्रार्थना पत्र उनवानी सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास बनाम् भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 64/2018 उनवानी सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास बनाम् भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर में दिनांक 15.10.2018 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर आपको आदेशित किया जाता है कि आप पारित निर्णयानुसार ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 443/2191 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक आबादी भूमि के नये खसरा नम्बर 503 का रकबा संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित बिन्दु संख्या "ए" से "बी" तक बढ़ाया जाता है तथा खसरा नम्बर 443 व 503 की मध्य सीमा जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से बिन्दु संख्या "सी" से "डी" तक दर्शित किया गया है को विलोपित किया जाकर नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर दुरुस्ती किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में (अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश इत्यादि नहीं हो तो) दुरुस्ती की कार्यवाही की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

Gm-
(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)